



अनुसंधान प्रश्न

“हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13बी और विशेष विवाह अधिनियम की धारा 28 के तहत भारत में आपसी सहमति से तलाक कैसे होता है, समयसीमा और कूलिंग-ऑफ अवधि क्या है, और सुप्रीम कोर्ट छह महीने की प्रतीक्षा अवधि कब माफ कर सकता है?”

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13बी और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 28 के तहत आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया, समयसीमा, कूलिंग-ऑफ अवधि और छह महीने की प्रतीक्षा अवधि की छूट के संबंध में विधिक विश्लेषण

सारांश

भारत में आपसी सहमति से तलाक के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) की धारा 13बी और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (SMA) के तहत कम से कम एक वर्ष के अलगाव के बाद संयुक्त याचिका दायर की जाती है, जिसके बाद कानूनन 6 से 18 महीने की 'कूलिंग-ऑफ' अवधि (प्रतीक्षा अवधि) अनिवार्य की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने *Amardeep Singh v. Harveen Kaur* (2017) में व्यवस्था दी कि धारा 13बी(2) के तहत छह महीने की प्रतीक्षा अवधि केवल निर्देशिका (directory) है, अनिवार्य (mandatory) नहीं। यदि वैवाहिक संबंध अपूरणीय रूप से टूट चुका है और पक्षकारों के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है, तो पारिवारिक न्यायालय भी इस अवधि को माफ कर सकते हैं।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
25	4	2024
21 उच्च न्यायालय • 4 सर्वोच्च न्यायालय		High Court of Himachal Pradesh

विषय - सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	4
III. चर्चित मुकदमे	6
IV. मुकदमे का विवरण	8

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्घरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 आपसी सहमति से तलाक की अनिवार्य शर्तें

HMA की धारा 13बी(1) और SMA की धारा 28(1) के तहत तलाक याचिका दायर करने के लिए तीन वैधानिक शर्तें पूरी होनी चाहिए: (i) पक्षकार कम से कम एक वर्ष से अलग रह रहे हों, (ii) वे एक साथ रहने में पूरी तरह असमर्थ हों, और (iii) उन्होंने आपसी सहमति से विवाह समाप्त करने का निर्णय लिया हो, जैसा कि *Sureshta Devi v. Om Prakash* (1991) में स्पष्ट किया गया है।

02 छह महीने की प्रतीक्षा अवधि की निर्देशिका प्रकृति

धारा 13बी(2) में उल्लिखित छह महीने की प्रतीक्षा अवधि अनिवार्य नहीं बल्कि निर्देशिका (directory) है। इसका उद्देश्य जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से बचना है, न कि किसी मृत विवाह को जबरन जारी रखना, जैसा कि *Tarun Vij v. Jasmeen* (2023) में निर्दिष्ट किया गया है।

03 पारिवारिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार

पूर्व में यह माना जाता था कि इस अवधि को केवल सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण संवैधानिक शक्तियों से ही माफ कर सकता है (*Sherry Sudheer v. Sreejith Sreedharan* (2014))। वर्तमान स्थिति के अनुसार, यदि निर्धारित दिशा-निर्देश पूरे होते हैं, तो पारिवारिक अदालतों के पास भी प्रतीक्षा अवधि को शिथिल करने का पूर्ण विवेकाधिकार है, जिसे *Vijay Agarwal v. Smt. Suchita Bansal* (2023) में रेखांकित किया गया है।

04 विशेष विवाह अधिनियम पर समान अनुप्रयोग

HMA की धारा 13बी(2) और SMA की धारा 28(2) के प्रावधान पूरी तरह से एक समान (pari materia) हैं। अतः प्रतीक्षा अवधि को माफ करने की छूट विशेष विवाह अधिनियम के तहत दायर याचिकाओं पर भी समान रूप से लागू होती है, जैसा कि *Johny Sebastian v. Jossy @ Saramma K.J.* (2023) और *Rajkumar Sureen v. Smt. Manju Tirki* (2018) में तय किया गया है।

05 सहमति की निरंतरता और एकतरफा वापसी का अधिकार

आपसी सहमति तलाक की डिक्री पारित होने तक लगातार बनी रहनी चाहिए। यदि डिक्री पारित होने से पहले कोई भी पक्ष अपनी सहमति एकतरफा रूप से वापस ले लेता है, तो अदालत को आपसी तलाक की डिक्री पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं रह जाता, जैसा कि *Hitesh Bhatnagar v. Deepa Bhatnagar* (2011) में स्थापित किया गया है।

06 वचन का उल्लंघन और सिविल अवमानना

यद्यपि सहमति वापस लेना एक वैधानिक अधिकार है, लेकिन यदि किसी पक्ष ने समझौते या अदालत में दिए गए वचन (undertaking) के आधार पर लाभ प्राप्त करने के बाद सहमति वापस ली है, तो उसे सिविल अवमानना (Civil Contempt) के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है (*Rosey Sailo Damodaran v. Nitin Damodaran* (2019))।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण	सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक रूप से विभिन्न व्यक्तिगत विवाह कानूनों में आपसी सहमति से तलाक के प्रावधानों की विसंगतियों को रेखांकित किया है, जैसा कि <i>J. Diengdeh v. S.S. Chopra</i> (1985) के विश्लेषण में दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित मार्गदर्शन के तहत, प्रतीक्षा अवधि की छूट के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि अलगाव की अवधि बीत चुकी है, कस्टडी और गुजारा भत्ता आदि तय हो चुके हैं, और प्रतीक्षा अवधि केवल उनकी मानसिक पीड़ा को बढ़ाएगी।
उच्च न्यायालयों की भिन्नताएं	उच्च न्यायालयों ने पारिवारिक अदालतों को संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया है। <i>Kavita Malik v. State of NCT of Delhi</i> (2021) में स्पष्ट किया गया कि यदि पक्षकार पहले ही लंबे समय से अलग रह रहे हैं, तो प्रक्रियात्मक विलंब करना अनुचित है। <i>Priyanka Chauhan v. Saurabh Chauhan</i> (2021) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि पारिवारिक अदालत को बिना कारण बताए छूट आवेदन खारिज नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत, <i>Puja Gurjar v. Puspendra Singh Gurjar</i> (2021) में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बिना किसी असाधारण मामले के केवल पक्षकारों की सनक पर इस अवधि को दरकिनार नहीं किया जा सकता।
हाल के विकास	हाल के न्यायिक निर्णयों में उच्च न्यायालयों ने आपसी समझौते और धारा 13बी की याचिका दायर होने को आधार मानकर धारा 498-ए जैसी आपराधिक प्राथमिकियों (FIRs) को भी निरस्त किया है ताकि पक्षकारों का त्वरित पुनर्वास हो सके, जैसा कि <i>Rasham Ranjan Sharma v. State of H.P.</i> (2024) और <i>Ujjwal Sachdeva & Ors. v. State of H.P. & Ors.</i> (2024) में देखा गया है।

अनिर्णीत क्षेत्र या चेतावनियाँ

विभिन्न उच्च न्यायालयों के मामले जैसे *Manoj Kumar Tiwari v. Smt. Suman Tiwari* (2022), *Bivin John v. Minnu Joseph* (2023), *Manish Verma v. Pooja Verma* (2022), *Pooja Purohit v. Sumer Purohit* (2018), *Susheel v. Anju* (2018), *Naveen Kumar Dass v. Reena Kumari* (2021), *Vijaymohan v. D. Kalamani* (2007) और *P. Lydia Jenifar v. S. Rajadurai* (2017) दर्शाते हैं कि छह महीने की छूट प्राप्त करना कोई स्वचालित अधिकार नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से पारिवारिक न्यायालयों के न्यायिक विवेक पर निर्भर करता है, जो वास्तविक सुलह प्रयासों की विफलता के विश्लेषण पर आधारित होता है।

II. सांविधिक प्रावधान 4 प्रावधान

SECTION 13B, HINDU MARRIAGE ACT, 1955 — DIVORCE BY MUTUAL CONSENT

यह प्रावधान पति और पत्नी को कम से कम एक वर्ष तक अलग रहने, एक साथ रहने में असमर्थ होने और आपसी सहमति से विवाह समाप्त करने का निर्णय लेने के आधार पर संयुक्त रूप से तलाक की याचिका दायर करने की अनुमति देता है। याचिका प्रस्तुत करने के छह से अठारह महीने के भीतर संयुक्त प्रस्ताव (joint motion) पर अदालत तलाक की डिक्री पारित कर सकती है।

"Section 13B. Divorce by mutual consent (1) Subject to the provisions of this Act a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce may be presented to the district court by both the parties to a marriage together, whether such marriage was solemnized before or after the commencement of the Marriage Laws (Amendment) Act, 1976 (68 of 1976), on the ground that they have been living separately for a period of one year or more, that they have not been able to live together and that they have mutually agreed that the marriage should be dissolved. (2) On the motion of both the parties made not earlier than six months after the date of the presentation of the petition referred to in sub-section (1) and not later than eighteen months after the said date, if the petition is not withdrawn in the meantime, the court shall, on being satisfied, after hearing the parties and after making such inquiry as it thinks fit, that a marriage has been solemnized and that the averments in the petition are true, pass a decree of divorce declaring the marriage to be dissolved with effect from the date of the decree." उद्धृत: Pooja Purohit v. Sumer Purohit, Sangita Dibruwal v. Mridul Gogoi, Johny Sebastian v. Jossy @ Saramma K.J., Bivin John v. Minnu Joseph

SECTION 28, SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954 — DIVORCE BY MUTUAL CONSENT

विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाहित जोड़ों के लिए आपसी सहमति से विवाह विच्छेद का प्रावधान करता है। यह याचिका दायर करने और अंतिम डिक्री पारित होने के बीच छह से अठारह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि निर्धारित करता है।

"Section 28. Divorce by mutual consent (1) Subject to the provisions of this Act and to the rules made thereunder, a petition for divorce may be presented to the district court by both the parties together on the ground that they have been living separately for a period of one year or more, that they have not been able to live together and that they have mutually agreed that the marriage should be dissolved. (2) On the motion of both the parties made not earlier than six months after the date of the presentation of the petition referred to in sub-section (1) and not later than eighteen months after the said date, if the petition is not withdrawn in the meantime, the district court shall, on being satisfied, after hearing the parties and after making such inquiry as it thinks fit, that a marriage has been solemnized under this Act, and that the averments in the petition are true, pass a decree declaring the marriage to be dissolved with effect from the date of the decree." उद्धृत: Sureshta Devi v. Om Prakash, Johny Sebastian v. Jossy @ Saramma K.J.

SECTION 14, HINDU MARRIAGE ACT, 1955 — NO PETITION FOR DIVORCE TO BE PRESENTED WITHIN ONE YEAR OF MARRIAGE

विवाह के पहले वर्ष के भीतर तलाक की याचिका दायर करने पर प्रतिबंध लगाता है, जब तक कि याचिकाकर्ता को अत्यधिक कठिनाई या प्रतिवादी की ओर से असाधारण दुराचार साबित न हो।

"Section 14. No petition for divorce to be presented within one year of marriage (1)

Notwithstanding anything contained in this Act, it shall not be competent for any court to entertain any petition for dissolution of a marriage by a decree of divorce, unless at the date of the presentation of the petition one year has elapsed since the date of the marriage: Provided that the court may, upon application made to it in accordance with such rules as may be made by the High Court in that behalf, allow a petition to be presented before one year has elapsed since the date of the marriage on the ground that the case is one of exceptional hardship to the petitioner or of exceptional depravity on the part of the respondent, but if it appears to the court at the hearing of the petition that the petitioner obtained leave to present the petition by any misrepresentation or concealment of the nature of the case, the court may, if it pronounces a decree, do so subject to the condition that the decree shall not have effect until after the expiry of one year from the date of the marriage or may dismiss the petition without prejudice to any petition which may be brought after expiration of the said one year upon the same or substantially the same facts as those alleged in support of the petition so dismissed." उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

SECTION 29, SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954 — RESTRICTION ON PETITIONS FOR DIVORCE DURING FIRST ONE YEAR AFTER MARRIAGE

विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह के पहले वर्ष के भीतर तलाक याचिका दायर करने को प्रतिबंधित करता है, केवल असाधारण कठिनाई या दुराचार के मामलों को छोड़कर।

"Section 29. Restriction on petitions for divorce during first one year after marriage (1) No petition for divorce shall be presented to the district court unless at the date of the presentation of the petition one year has passed since the date of entering the certificate of marriage in the Marriage Certificate Book: Provided that the district court may, upon application being made to it, allow a petition to be presented before one year has passed on the ground that the case is one of exceptional hardship suffered by the petitioner or of exceptional depravity on the part of the respondent, but if it appears to the district court at the hearing of the petition that the petitioner obtained leave to present the petition by any misrepresentation or concealment of the nature of the case, the district court may, if it pronounces a decree, do so subject to the condition that the decree shall not have effect until after the expiry of one year from the date of the marriage or may dismiss the petition, without prejudice to any petition, which may be brought after the expiration of the said one year upon the same, or substantially the same, facts as those proved in support of the petition so dismissed." उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

III. चर्चित मुकदमे 25 मुकदमे • सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Naveen Kumar Dass v. Reena Kumari</i> HPHC010030692021	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2021	SMA की धारा 28(2) के तहत 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि को निर्देशिका मानकर छूट दी जा सकती है।
02	<i>Sureshta Devi v. Om Prakash</i> ESCR010000191991	SUPREME COURT OF INDIA	1991	आपसी सहमति डिक्री पारित होने तक बनी रहनी चाहिए; एकतरफा सहमति वापसी संभव है।
03	<i>Priyanka Chauhan v. Saurabh Chauhan</i> UPHC010139742021	ALLAHABAD HIGH COURT	2021	पारिवारिक न्यायालय को बिना वैध कारण दिए प्रतीक्षा अवधि छूट आवेदन खारिज नहीं करना चाहिए।
04	<i>Manoj Kumar Tiwari v. Smt. Suman Tiwari</i> CGHC010099482020	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2022	जब सुलह की कोई संभावना न हो, तो प्रतीक्षा अवधि केवल पीड़ा को लंबा करेगी और इसे माफ किया जाना चाहिए।
05	<i>Rajkumar Sureen v. Smt. Manju Tirki</i> MPHC010024972018	HIGH COURT OF MADHYA PRADESH	2018	SMA की धारा 28 और HMA की धारा 13बी पूरी तरह समान हैं; Amardeep Singh के सिद्धांत दोनों पर लागू होते हैं।
06	<i>Sangita Dibruwal v. Mridul Gogoi</i> GAHC010088992020	GAUHATI HIGH COURT	2020	वैवाहिक अपील के दौरान आपसी सहमति याचिका दायर होने पर प्रतीक्षा अवधि को माफ कर सीधे तलाक दिया जा सकता है।
07	<i>Amardeep Singh v. Harveen Kaur</i> ESCR010006882017	SUPREME COURT OF INDIA	2017	धारा 13बी(2) के तहत छह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि अनिवार्य न होकर निर्देशिका है।
08	<i>Johny Sebastian v. Jossy @ Saramma K.J.</i> KLHC010497282022	HIGH COURT OF KERALA	2023	SMA के तहत 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि की छूट से इनकार करना धर्म के आधार पर अनुचित भेदभाव होगा।
09	<i>Avnish Kumar Chauhan v. Anjali Rana</i> HPHC010377282023	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2023	जब विवाह पूरी तरह से टूट चुका हो, तो आपसी तलाक के लिए कूलिंग अवधि की आवश्यकता नहीं है।
10	<i>Sherry Sudheer v. Sreejith Sreedharan</i> KLHC010368702014	HIGH COURT OF KERALA	2014	(पूर्व-स्थिति) अनुच्छेद 142 के तहत छह महीने की अवधि को माफ करने की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट के पास थी।
11	<i>Tarun Vij v. Jasmeen</i> PHHC010887892023	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2023	Amardeep Singh की शर्तें केवल दृष्टांत हैं, उन्हें अत्यंत संकीर्ण और कठोरता से लागू नहीं किया जाना चाहिए।
12	<i>Bivin John v. Minnu Joseph</i> KLHC010696002022	HIGH COURT OF KERALA	2023	ईसाई विवाह (Divorce Act 1869) के तहत भी Amardeep Singh के आधार पर प्रतीक्षा अवधि माफ की जा सकती है।
13	<i>Manish Verma v. Pooja Verma</i> CGHC010100132022	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2022	स्थायी गुजारा भत्ता और स्त्रीधन की वापसी के पूर्ण समझौते के बाद प्रतीक्षा अवधि को माफ करना उचित है।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
14	<i>Kavita Malik v. State of NCT of Delhi</i> DLHC010140492021	HIGH COURT OF DELHI	2021	पारिवारिक न्यायालयों को संवेदनशील होकर आपसी सहमति मामलों में प्रतीक्षा अवधि छूट पर त्वरित निर्णय लेना चाहिए।
15	<i>Susheel v. Anju</i> HPHC010044692018	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2018	पांच वर्षों से अलग रह रहे दंपति के मामले में छह महीने की प्रतीक्षा अवधि को तुरंत माफ किया गया।
16	<i>Hitesh Bhatnagar v. Deepa Bhatnagar</i> ESCR010006342011	SUPREME COURT OF INDIA	2011	डिक्री पारित होने तक सहमति की निरंतरता आवश्यक है; 18 महीने बाद भी सहमति वापस ली जा सकती है।
17	<i>Rasham Ranjan Sharma v. State of H.P.</i> HPHC010195762024	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2024	आपसी समझौते और 13बी आवेदन के बाद धारा 498-ए के तहत आपराधिक मामले को रद्द किया जा सकता है।
18	<i>J. Diengdeh v. S.S. Chopra</i> ESCR010002571985	SUPREME COURT OF INDIA	1985	विभिन्न व्यक्तिगत विवाह कानूनों में तलाक के आधारों में असमानता पर टिप्पणी और समान नागरिक संहिता की वकालत।
19	<i>Pooja Purohit v. Sumer Purohit</i> CGHC010130512018	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2018	पुनर्विवाह की इच्छा को गलत मंशा न मानकर, सुलह की विफलता पर प्रतीक्षा अवधि माफ की जानी चाहिए।
20	<i>Rosey Sailo Damodaran v. Nitin Damodaran</i> DLHC010101552019	HIGH COURT OF DELHI	2019	आपसी सहमति वापस लेने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन समझौते से मुकरने पर नागरिक अवमानना संभव है।
21	<i>Puja Gurjar v. Puspendra Singh Gurjar</i> MPHC030041622021	HIGH COURT OF MADHYA PRADESH	2021	बिना किसी असाधारण आधार और सुलह प्रयासों की पूर्ण विफलता के बिना केवल इच्छा पर छूट नहीं मिल सकती।
22	<i>Vijay Agarwal v. Smt. Suchita Bansal</i> UPHC011527302023	ALLAHABAD HIGH COURT	2023	Amardeep Singh का फैसला स्पष्ट रूप से पारिवारिक अदालतों को छह महीने की अवधि माफ करने का अधिकार देता है।
23	<i>Ujjwal Sachdeva & Ors. v. State of H.P. & Ors.</i> HPHC010169932024	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2024	सुलह की विफलता और समझौते के बाद आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना केवल पीड़ा को लंबा करेगा।
24	<i>P. Lydia Jenifar v. S. Rajadurai</i> HCMD010002962017	MADRAS HIGH COURT	2017	जब विवाह अपूरणीय रूप से टूट चुका हो, तो वर्षों की कानूनी देरी से बचने के लिए तुरंत डिक्री दी जानी चाहिए।
25	<i>Vijaymohan v. D. Kalamani</i> HCMA011012692007	MADRAS HIGH COURT	2007	यदि अपील के दौरान आपसी सहमति बनती है, तो बिना प्रतीक्षा किए डिक्री पारित करने के निर्देश दिए जा सकते हैं।

IV. मुकदमे का विवरण 25 केस फ़ाइलें

01 Naveen Kumar Dass v. Reena Kumari

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2021-02-08 • CMPM0/31/2021

यह मामला पति और पत्नी द्वारा आपसी सहमति से तलाक के लिए दायर की गई याचिका से संबंधित है। पक्षकारों ने अपनी शादी को भंग करने के लिए Section 28 of the Special Marriage Act, 1954 के तहत आवेदन किया था। चूंकि पक्षकार पहले ही लंबे समय से अलग रह रहे थे और सुलह की सभी संभावनाएं समाप्त हो चुकी थीं, इसलिए वे वैधानिक प्रतीक्षा अवधि (statutory waiting period) में छूट चाहते थे। उच्च न्यायालय ने Amardeep Singh v. Harveen Kaur के फैसले का हवाला देते हुए माना कि यह अवधि अनिवार्य नहीं बल्कि निर्देशिका है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को छूट दी कि वे संबंधित Family Court में इस अवधि को कम करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर न्यायालय कानून के अनुसार विचार करेगा।

निर्णय न्यायालय ने माना कि विशेष विवाह अधिनियम की धारा 28(2) के प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13बी(2) के समरूप (pari materia) हैं। *Amardeep Singh v. Harveen Kaur* में प्रतिपादित कानून के आधार पर यह समय-सीमा निर्देशिका है और सुलह या सह-निवास की संभावना न होने पर पारिवारिक न्यायालय छूट देने का क्षेत्राधिकार रखता है।

“Section 28(2) of Special Marriage Act is pari materia to Section 13(B)(2) of the Hindu Marriage Act 1959. ... After tracing the legal journey, Hon'ble Apex Court held that period mentioned in Section 13-B(2) is not mandatory but directory. It shall be open to the Court to exercise its discretion in facts and circumstances of each case, where there is no possibility of parties resuming cohabitation and there are chances of alternative rehabilitation.”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2021

स्रोत HPHC010030692021

02 Sureshta Devi v. Om Prakash

SUPREME COURT OF INDIA • 1991-02-07 • 1991 INSC 28

यह मामला हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act, 1955) के Section 13-B के तहत आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया से संबंधित है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि Section 13-B के तहत दायर याचिका पर तलाक की डिक्री केवल तभी पारित की जा सकती है जब दोनों पक्ष आपसी सहमति से संयुक्त प्रस्ताव (joint motion) पेश करें। यह आपसी सहमति तलाक की डिक्री पारित होने तक बनी रहनी चाहिए। न्यायालय ने निर्णय दिया कि डिक्री पारित होने से पहले कोई भी पक्ष अपनी सहमति एकतरफा रूप से वापस ले सकता है। यदि कोई पक्ष अपनी सहमति वापस ले लेता है, तो अदालत तलाक की डिक्री नहीं दे सकती है। इस प्रकार, याचिका के समय दी गई सहमति अंतिम नहीं होती, और विवाह को भंग करने के लिए दोनों पक्षों की निरंतर इच्छा अनिवार्य है।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांत स्थापित किया कि धारा 13बी के तहत डिक्री पारित करने के लिए दोनों पक्षों की आपसी सहमति डिक्री पारित होने के क्षण तक सक्रिय और मौजूद होनी चाहिए। कोई भी पक्ष सुनवाई के दौरान एकतरफा सहमति वापस ले सकता है, जिससे अदालत का डिक्री पारित करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

“Mutual consent to the divorce is a sine qua non for passing a decree for divorce under Section 13-B. Mutual consent should continue till the divorce decree is passed. ... If one of the parties at that stage says that "I have withdrawn my consent", or "I am not a willing party to the divorce", the Court cannot pass a decree of divorce by mutual consent.”

SUPREME COURT OF INDIA • 1991

स्रोत ESCR010000191991

03 Priyanka Chauhan v. Saurabh Chauhan

ALLAHABAD HIGH COURT • 2021-02-10 • FAPLD/32/2021

यह मामला आपसी सहमति से तलाक के लिए दायर याचिका में छह महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि (cooling-off period) को माफ करने से संबंधित है। दंपति का विवाह 11 दिसंबर 2019 को हुआ था, लेकिन वैचारिक मतभेदों के कारण वे विवाह के कुछ ही दिनों बाद अलग रहने लगे और विवाह को कभी पूरा (consummate) नहीं किया गया। परिवार न्यायालय ने बिना कोई कारण बताए इस छूट के आवेदन को खारिज कर दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि न्यायालय द्वारा निर्णय में कारण न देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। उच्च न्यायालय ने Amardeep Singh v. Harveen Kaur मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि यदि विवाह पूरी तरह से टूट चुका है और सुलह की कोई संभावना नहीं है, तो Section 13-B(2) के तहत छह महीने की अवधि को माफ किया जा सकता है। न्यायालय ने दंपति की स्थिति को देखते हुए छूट देने का आदेश दिया।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 13बी(2) के तहत छह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि निर्देशिका है। पारिवारिक अदालतों द्वारा बिना किसी न्यायिक विश्लेषण या वैध कारण के छूट के आवेदनों को मनमाने ढंग से खारिज करना कानूनन गलत है।

“The waiting period enshrined under Section 13-B(2) of the Act is directory and can be waived by the court, where, proceedings are pending, in exceptional situation. Hon'ble the Apex Court in Amardeep Singh (Supra) has considered the discretion to waive the period, where, there is no chance of reconciliation and parties were already separated.”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2021

स्रोत UPHC010139742021

04 Manoj Kumar Tiwari v. Smt. Suman Tiwari

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2022-07-19 • FA(MAT)/91/2020

यह मामला पति और पत्नी द्वारा आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के लिए दायर की गई याचिका से संबंधित है। दंपति 2015 से अलग रह रहे थे और उनके बीच सुलह की कोई संभावना नहीं बची थी। उच्च न्यायालय ने Amardeep Singh v. Harveen Kaur मामले में Supreme Court द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए यह माना कि सुलह के प्रयास विफल रहे हैं और प्रतीक्षा अवधि केवल उनकी पीड़ा को बढ़ाएगी। तदनुसार, न्यायालय ने Section 13-B of the Hindu Marriage Act, 1955 के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए छह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि को माफ कर दिया और उनके विवाह को भंग करने की डिक्री पारित कर दी।

निर्णय न्यायालय ने आदेश दिया कि जब सुलह और सह-निवास के सभी व्यावहारिक मार्ग बंद हो चुके हों और पक्ष लंबे समय से अलग रह रहे हों, तो धारा 13बी(2) के तहत आवेदन को लंबित रखना निरर्थक है। कूलिंग अवधि का उद्देश्य पुनर्विचार का अवसर देना है, न कि मृत वैवाहिक संबंधों को जबरन खींचना।

“The period of six months has been laid down in the statute to have a rethink so that the Court can grant divorce by mutual consent only if there is no chance for reconciliation. ... Under the circumstances, we are of the opinion that since the parties cannot live together further and they were given enough time to rethink ... the result has come in negative for reunion. In a result, no purpose would be solved to keep the application under Section 13-B pending further.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2022

स्रोत CGHC010099482020

05 **Rajkumar Sureen v. Smt. Manju Tirki**

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2018-03-20 • CR/31/2018

यह मामला एक वैवाहिक विवाद से संबंधित है जहाँ पति और पत्नी ने Special Marriage Act, 1954 की Section 27 के तहत दायर अपने पुराने तलाक के आवेदन के लंबित रहते हुए ही आपसी सहमति से तलाक के लिए Section 28 के तहत एक संयुक्त आवेदन दायर किया था। निचली अदालत ने तकनीकी आधार पर इस आवेदन को खारिज कर दिया था कि पहले पुराने आवेदन को वापस लेना आवश्यक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि प्रक्रियात्मक नियम न्याय में बाधा नहीं बनने चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लंबित कार्यवाही के दौरान आपसी सहमति से तलाक का आवेदन दायर करना कानूनन गलत नहीं है और निचली अदालत को मामले को गुण-दोष के आधार पर तय करना चाहिए।

निर्णय उच्च न्यायालय ने धारा 13बी(2) HMA और धारा 28(2) SMA की समरूपता को रेखांकित किया। न्यायालय ने घोषित किया कि अमरीप सिंह के तहत छह महीने की प्रतीक्षा अवधि की छूट का विवेकाधिकार पारिवारिक अदालतों को पक्षकारों के पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए प्रयोग करना चाहिए।

“Section 28(2) is pari materia to Section 13(B)(2). ... in the case of Amardeep Singh (supra), the question arose for consideration was whether the minimum period of six months stipulated under Section 13-(B) (2) of the Hindu Marriage Act, 1955 for a motion for passing decree of divorce on the basis of mutual consent is mandatory or can be relaxed in any exceptional situations. After considering the legal journey on this aspect, the Apex Court in no uncertain terms opined that period mentioned in Section 13 (B)(2) is not mandatory but is directory. It will be open to the Court to exercise its discretion in the facts and circumstances of each case where there is no possibility of parties resuming cohabitation and there are chances of alternative rehabilitation.”

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2018

स्रोत MPHC010024972018

06 **Sangita Dibruwal v. Mridul Gogoi**

GAUHATI HIGH COURT • 2020-08-11 • I.A.(CIVIL)/1163/2020

यह मामला पति-पत्नी द्वारा अपनी वैवाहिक अपील (Matrimonial Appeal) को Section 13B of the Hindu Marriage Act, 1955 के तहत आपसी सहमति से तलाक की याचिका में बदलने के लिए दायर एक संयुक्त आवेदन से संबंधित है। पक्षकार 2012 से अलग रह रहे थे और सुलह के सभी प्रयास विफल रहे थे, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि विवाह पूरी तरह टूट चुका है। न्यायालय ने Amardeep Singh vs. Harveen Kaur मामले में Supreme Court of India द्वारा स्थापित सिद्धांतों का पालन करते हुए पाया कि सुलह की कोई संभावना नहीं बची है। तदनुसार, न्यायालय ने 6 महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को माफ करते हुए आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान की।

निर्णय गौहाटी उच्च न्यायालय ने माना कि छह महीने की अवधि को पक्षकारों के मानसिक संताप को लंबा करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब वे अपील स्तर तक कई वर्षों से अलगाव झेल रहे हों।

“The object of the cooling-off period is to safeguard against the hurried decision to obviate the possibility of differences being reconciled. The object is not to perpetuate a purposeless marriage or to prolong the agony of the parties when there is no chance of reconciliation. ... Since we are of the view that the period mentioned in Section 13-B(2) is not mandatory but directory, it will be open to the Court to exercise its discretion”

GAUHATI HIGH COURT • 2020

स्रोत GAHC010088992020

07 Amardeep Singh v. Harveen Kaur

SUPREME COURT OF INDIA • 2017-09-12 • 2017 INSC 896

यह मामला Hindu Marriage Act, 1955 की Section 13B(2) के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए निर्धारित छह महीने की 'कूलिंग ऑफ पीरियड' (waiting period) की अनिवार्यता से संबंधित है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यह प्रावधान अनिवार्य (mandatory) नहीं बल्कि निर्देशात्मक (directory) है। यदि न्यायालय संतुष्ट है कि पक्षों के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं है, वे लंबे समय से अलग रह रहे हैं, और उनके विवादों का निपटारा हो चुका है, तो न्यायालय अपने विवेक से इस अवधि को माफ कर सकता है। इस निर्णय का उद्देश्य उन दंपतियों को राहत देना है जिनका वैवाहिक संबंध पूरी तरह टूट चुका है, ताकि वे बिना किसी अनावश्यक देरी के अपना जीवन फिर से शुरू कर सकें।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक सिद्धांत स्थापित किया कि धारा 13बी(2) की छह महीने की अवधि निर्देशिका (directory) है। न्यायालय ने चार प्रमुख मानदंड तय किए जिनके संतुष्ट होने पर संबंधित न्यायालय प्रतीक्षा अवधि की छूट को मंजूरी दे सकते हैं।

“Since the period mentioned in Section 13B(2) is not mandatory but directory, it will be open to the Court to exercise its discretion in the facts and circumstances of each case where there is no possibility of parties resuming cohabitation and there are chances of alternative rehabilitation. ... the waiver of the waiting period for the second motion will be in the discretion of the concerned Court.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2017

स्रोत ESCR010006882017

08 Johny Sebastian v. Jossy @ Saramma K.J.

HIGH COURT OF KERALA • 2023-01-25 • MAT.APPEAL/518/2022

यह मामला पति और पत्नी के बीच आपसी सहमति से तलाक के लिए दायर की गई अपील से संबंधित है। पक्षकारों ने Special Marriage Act, 1954 की धारा 28 के तहत तलाक के लिए एक संयुक्त याचिका दायर की और छह महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि (cooling-off period) को माफ करने का अनुरोध किया। न्यायालय ने Amardeep Singh v. Harveen Kaur मामले में स्थापित सिद्धांतों का पालन करते हुए यह माना कि यह प्रतीक्षा अवधि अनिवार्य नहीं बल्कि निर्देशिका (directory) है। चूंकि पक्षकार लंबे समय से अलग रह रहे थे और उनके बीच सभी विवाद सुलझ चुके थे, इसलिए न्यायालय ने छह महीने की अवधि को माफ करते हुए आपसी सहमति से तलाक की डिक्री प्रदान की।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आपसी सहमति से तलाक एक धर्मनिरपेक्ष (secular) अवधारणा है। इसलिए, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत *Amardeep Singh* में घोषित छूट का लाभ विशेष विवाह अधिनियम के तहत आने वाले पक्षकारों को न देना धर्म के आधार पर अनुचित भेदभाव के समान होगा।

“When the Apex Court in Amardeep Singh [2017 (8) SCC 746] has declared the law that the ‘cooling off period’ of six months provided under Section 13B(2) of the Hindu Marriage Act is not mandatory but directory ... denying that benefit to persons who are governed by the Special Marriage Act, 1954 would amount to unjust discrimination. Therefore, the dictum laid down by the Apex Court in Amardeep Singh ... is applicable to a petition for divorce filed under Section 28 of the Special Marriage Act, 1954”

HIGH COURT OF KERALA • 2023

स्रोत KLHC010497282022

09 Avnish Kumar Chauhan v. Anjali Rana

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2024-09-02 • CR.R/582/2023

यह मामला पति-पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद से संबंधित है। पक्षों ने आपसी सहमति से अपने विवादों को सुलझाने का निर्णय लिया है और वे Section 13-B of the Hindu Marriage Act के तहत आपसी तलाक के लिए संयुक्त याचिका दायर करने पर सहमत हुए हैं। पति, पत्नी को 13,50,000 रुपये की स्थायी गुजारा भत्ता (permanent alimony) देने के लिए सहमत हुआ है। न्यायालय ने पक्षों के इस समझौते को रिकॉर्ड पर लिया और उन्हें निर्देशित किया कि वे एक सप्ताह के भीतर सक्षम न्यायालय में तलाक की संयुक्त याचिका दायर करें। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि विवाह पूरी तरह टूट चुका है, इसलिए संबंधित अदालत को divorce granted करने के लिए अनिवार्य 'cooling period' की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

निर्णय न्यायालय ने पक्षकारों के बीच स्थायी गुजारा भत्ते और समझौते को दर्ज करते हुए निर्देश दिया कि जहाँ वैवाहिक संबंध अपूरणीय रूप से टूट चुका है, वहाँ संबंधित अदालत को छह महीने की प्रतीक्षा अवधि की आवश्यकता को माफ करना चाहिए।

“In the instant case also, statutory period of six months deserves to be waived keeping in view the fact that the marriage between the parties has broken beyond repair and there seems to be no possibility of parties living together.”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2023

स्रोत HPHC010377282023

10 Sherry Sudheer v. Sreejith Sreedharan

HIGH COURT OF KERALA • 2014-03-03 • OP (FC)/99/2014

यह मामला पति-पत्नी द्वारा आपसी सहमति से तलाक (mutual divorce) लेने के लिए Section 13(B) of the Hindu Marriage Act के तहत दायर याचिका से संबंधित है। दंपति ने छह महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि (waiting period) को माफ करने के लिए आवेदन किया था, जिसे निचली अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत अपने असाधारण अधिकारों का उपयोग करके प्रतीक्षा अवधि में छूट दे सकता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के पास यह शक्ति नहीं है। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि परिवार न्यायालय याचिका दायर करने की तारीख से छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद मामले पर विचार करे।

निर्णय यह निर्णय वर्ष 2014 की पूर्व विधिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। उच्च न्यायालय ने माना था कि धारा 13बी(2) के तहत छह महीने की प्रतीक्षा अवधि को केवल सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करके ही माफ कर सकता है, और अधीनस्थ पारिवारिक अदालतों के पास ऐसी कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है।

“The direction to waive the waiting period of six months, the Apex Court held can be exercised by the Supreme Court by invoking its powers under Article 142 of the Constitution of India. This Court is not called upon to examine the reasons or the extraordinary situation in order to consider the prayer for waiver.”

HIGH COURT OF KERALA • 2014

स्रोत KLHC010368702014

11 Tarun Vij v. Jasmeen

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2023-08-17 • CR/4036/2023

यह मामला आपसी सहमति से तलाक के लिए Section 13-B of the Hindu Marriage Act के तहत दायर याचिका में छह महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि (statutory waiting period) को माफ करने से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनके बीच मतभेदों के कारण उनका विवाह अपूरणीय रूप से टूट चुका है और वे सितंबर 2020 से अलग रह रहे हैं। उन्होंने स्थायी गुजारा भत्ता (permanent alimony) सहित सभी

विवादों को सुलझा लिया है। उच्च न्यायालय ने *Amardeep Singh v. Harveen Kaur* और *Amit Kumar v. Suman Beniwal* के निर्णयों का संदर्भ लेते हुए माना कि प्रतीक्षा अवधि अनिवार्य नहीं है, बल्कि निर्देशात्मक है। न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ताओं को जल्द से जल्द तलाक की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि *Amardeep Singh* मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित चार मानदंड केवल दृष्टांत (illustrative) हैं, न कि संपूर्ण (exhaustive)। यदि पक्षों के बीच विवाद पूरी तरह हल हो चुके हैं, तो प्रतीक्षा अवधि को अत्यधिक तकनीकी और कठोरता से लागू नहीं किया जाना चाहिए।

“In *Amit Kumar vs. Suman Beniwal*, 2022(1) RCR (Civil) 569, the Hon'ble Apex Court has held that factors mentioned in *Amardeep Singh vs. Harveen Kaur* (supra), in Paragraph 19 are illustrative and not exhaustive. ... If all the four conditions mentioned above are fulfilled, the Court would necessarily have to exercise its discretion to waive the statutory waiting period under Section 13B (2) of the Marriage Act.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2023

स्रोत PHHC010887892023

12 Bivin John v. Minnu Joseph

HIGH COURT OF KERALA • 2023-02-07 • MAT.APPEAL/709/2022

यह मामला पति और पत्नी के बीच चल रहे कई वैवाहिक विवादों से संबंधित है, जिसमें तलाक, वैवाहिक अधिकारों की बहाली (restitution of conjugal rights), भरण-पोषण (maintenance) और धन/आभूषणों की वापसी के दावे शामिल थे। न्यायालय ने गौर किया कि पक्षों ने मध्यस्थता (mediation) के माध्यम से अपने सभी विवादों को सुलझा लिया है और आपसी सहमति से तलाक के लिए Section 10A of the Divorce Act के तहत आवेदन दायर किया है। *Amardeep Singh v. Harveen Kaur* मामले में Supreme Court of India द्वारा स्थापित सिद्धांतों का पालन करते हुए, न्यायालय ने आपसी सहमति से तलाक के लिए छह महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को माफ कर दिया और उनके वैवाहिक संबंधों को समाप्त करने का निर्णय सुनाया।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने माना कि प्रतीक्षा अवधि की शिथिलता के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को ईसाई व्यक्तिगत कानून (Divorce Act, 1869) पर भी लागू किया जाना चाहिए। सुलह की संभावना शून्य होने की स्थिति में, छह महीने की प्रतीक्षा अवधि केवल पीड़ा को बढ़ाती है।

“Since the period mentioned in Section 13B(2) of the Hindu Marriage Act is not mandatory but directory, it will be open to the court to exercise its discretion in the facts and circumstances of each case where there is no possibility of parties resuming cohabitation and there are chances of alternative rehabilitation.”

HIGH COURT OF KERALA • 2023

स्रोत KLHC010696002022

13 Manish Verma v. Pooja Verma

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2022-08-12 • FA(MAT)/49/2022

यह मामला पति द्वारा दायर की गई वैवाहिक अधिकारों की बहाली (restitution of conjugal rights) की याचिका के खारिज होने के खिलाफ अपील से संबंधित है। मध्यस्थता के दौरान, पक्षों ने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद (divorce by mutual consent) करने का निर्णय लिया और Section 13(B) of the Hindu Marriage Act, 1955 के तहत आवेदन किया। पक्षकारों ने स्थायी गुजारा भत्ता (permanent alimony) के रूप में 5,00,000 रुपये का भुगतान और उपहारों की वापसी पर समझौता किया है।

निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने माना कि पक्षकारों के बीच 'स्त्रीधन' की वापसी और स्थायी गुजारा भत्ते की पूर्ण अदायगी यह साबित करती है कि वे पूरी तरह से अलग होने का मन बना चुके हैं, और ऐसी परिस्थितियों में छह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि की आवश्यकता को दरकिनार किया जाना चाहिए।

“the terms of the agreement arrived in between the parties would show that the permanent alimony has also been settled and paid along with the fact that all the matrimonial gifts "Streedhan" has been returned ... cooling off period will only prolong their agony.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2022

स्रोत CGHC010100132022

14 Kavita Malik v. State of NCT of Delhi

HIGH COURT OF DELHI • 2021-04-16 • W.P.(C)/3922/2021

यह मामला आपसी सहमति से तलाक के लिए 'first motion' याचिका पर Family Court द्वारा आदेश पारित न किए जाने से संबंधित है। पक्षकारों ने अलग होने का निर्णय लिया था और सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं, लेकिन Family Court ने प्रक्रिया में देरी की और 'first motion' का आदेश पारित नहीं किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने Family Court की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया और Amardeep Singh v. Harveen Kaur मामले में Supreme Court के सिद्धांतों का हवाला दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Section 13-B(2) के तहत छह महीने की 'cooling-off period' अनिवार्य नहीं बल्कि directory है। उच्च न्यायालय ने Family Court को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मामले का त्वरित निपटारा करे।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपसी तलाक के मामलों में समय-सीमा केवल सुलह के लिए दी जाती है। जब दोनों पक्ष स्पष्ट निर्णय ले चुके हों, तो अधीनस्थ न्यायालयों को संवेदनशील होकर छह महीने की प्रतीक्षा अवधि में छूट के आवेदनों का त्वरित निस्तारण करना चाहिए।

“Both judgments make it clear that the time-period of six months for cooling off can be waived by the Court under special circumstances. ... the period mentioned in Section 13-B(2) is not mandatory but directory, it will be open to the court to exercise its discretion in the facts and circumstances of each case”

HIGH COURT OF DELHI • 2021

स्रोत DLHC010140492021

15 Susheel v. Anju

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2018-05-08 • FA0/132/2018

यह मामला पति और पत्नी के बीच विवाह को भंग करने की अपील से संबंधित है। निचली अदालत द्वारा तलाक की याचिका खारिज किए जाने के बाद, पति ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। कार्यवाही के दौरान, न्यायालय ने दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने का प्रयास किया, लेकिन वे आपसी सहमति से तलाक लेने पर सहमत हुए। पक्षों ने Section 13B of the Hindu Marriage Act के तहत एक संयुक्त आवेदन दायर किया। चूंकि पक्ष पांच वर्षों से अलग रह रहे थे और विवाह पूरी तरह से टूट चुका था, इसलिए न्यायालय ने कानून के तहत निर्धारित छह महीने की प्रतीक्षा अवधि को माफ कर दिया और आपसी सहमति से तलाक की डिक्री प्रदान की।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि जब पक्षकार पांच वर्षों से भी अधिक समय से अलग रह रहे हों और वैवाहिक जीवन अपूरणीय रूप से टूट चुका हो, तो प्रतीक्षा अवधि को तुरंत माफ कर न्याय के हित में डिक्री दी जानी चाहिए।

“statutory period of six months deserves to be waived keeping in view the fact that the marriage between the parties has broken beyond repair and there seems to be no possibility of parties living together.”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2018

स्रोत HPHC010044692018

16 Hitesh Bhatnagar v. Deepa Bhatnagar

SUPREME COURT OF INDIA • 2011-04-18 • 2011 INSC 306

यह मामला हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act, 1955) की धारा 13बी (Section 13B) के तहत आपसी सहमति से तलाक की याचिका से संबंधित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपसी सहमति से तलाक के लिए दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति अनिवार्य है और कोई भी पक्ष डिक्री पारित होने से पहले किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले सकता है। याचिका दायर करने के 18 महीने की अवधि केवल प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए है, न कि सहमति वापस लेने की समय सीमा को सीमित करने के लिए। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने अनुच्छेद 142 (Article 142) के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए विवाह को भंग करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पत्नी ने विवाह को बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की थी।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि यदि पूछताछ के समय दोनों पक्षों की वास्तविक आपसी सहमति उपलब्ध नहीं है, तो डिक्री जारी नहीं की जा सकती। 18 महीने की वैधानिक अवधि समाप्त होने के बावजूद, कोई भी पक्ष डिक्री पारित होने से पहले सहमति वापस ले सकता है।

“If there is no mutual consent at the time of the enquiry, the court gets no jurisdiction to make a decree for divorce. If the view is otherwise, the court could make an enquiry and pass a divorce decree even at the instance of one of the parties and against the consent of the other. Such a decree cannot be regarded as decree by mutual consent.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2011

स्रोत ESCR010006342011

17 Rasham Ranjan Sharma v. State of H.P.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2024-06-11 • CRMM0/438/2024

यह मामला पति और पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद से संबंधित है। पत्नी ने पति के खिलाफ Section 498-A और Section 34 of IPC के तहत FIR दर्ज कराई थी। बाद में, दोनों पक्षों ने आपसी समझौता कर लिया और अपनी शादी को mutual consent से समाप्त करने का निर्णय लिया। पति ने पत्नी को स्थायी गुजारे भत्ते (permanent alimony) के रूप में 12 लाख रुपये का भुगतान कर दिया है। न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए यह माना कि वैवाहिक विवादों में, जहाँ सुलह की कोई संभावना न हो, FIR को रद्द करना न्याय के हित में है। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने उक्त FIR और संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि सुलह की संभावना की पूर्ण समाप्ति और धारा 13बी के तहत आपसी तलाक की सहमति के बाद, 6 महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि को शिथिल किया जाना चाहिए ताकि पक्षकार अपनी नवजीवन की संभावनाओं की तलाश कर सकें।

“statutory period of six months deserves to be waived keeping in view the fact that the marriage between the parties has broken beyond repair and there seems to be no possibility of parties living together.”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2024

स्रोत HPHC010195762024

18 J. Diengdeh v. S.S. Chopra

SUPREME COURT OF INDIA • 1985-05-10 • 1985 INSC 138

यह मामला विवाह विच्छेद और न्यायिक पृथक्करण (judicial separation) से संबंधित है, जहाँ पत्नी ने पति की नपुंसकता (impotence) के आधार पर विवाह को शून्य घोषित करने की मांग की थी। न्यायालय ने पाया कि Indian Divorce Act, 1869 के तहत विवाह विच्छेद के लिए आधार बहुत सीमित हैं और इस मामले में विवाह पूरी तरह से टूट चुका है। न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि विभिन्न समुदायों के लिए विवाह कानूनों में भारी विषमता है, जो एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की आवश्यकता को रेखांकित करती है। न्यायालय ने विधायिका से अपील की कि वे विवाह विच्छेद के आधारों में 'irretrievable break-down of marriage' और आपसी सहमति को शामिल करें, ताकि ऐसे विवाहित जोड़ों को राहत मिल सके।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न व्यक्तिगत और धर्मनिरपेक्ष विवाह कानूनों (HMA और SMA) में आपसी सहमति से तलाक के वैधानिक प्रावधानों की तुलना की और विवाह के अपूरणीय विच्छेद को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया।

“the Hindu Marriage Act contains a special provision for a joint application by the husband and wife for the grant of a decree of divorce by mutual consent whereas the Indian Divorce Act contains no similar provision. We may now have a look at the provisions of the Special Marriage Act, 1954 which applies only to marriages solemnized under that Act.”

SUPREME COURT OF INDIA • 1985

स्रोत ESCR010002571985

19 Pooja Purohit v. Sumer Purohit

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2018-05-09 • WP227/353/2018

यह मामला आपसी सहमति से तलाक (divorce by mutual consent) के लिए दायर याचिका में छह महीने की 'cooling-off' अवधि को कम करने के अनुरोध से संबंधित है। पक्षकारों ने तर्क दिया कि उनका विवाह विफल हो गया है, सुलह के सभी प्रयास असफल रहे हैं और वे अलग रह रहे हैं। पारिवारिक न्यायालय ने इसे यह मानते हुए खारिज कर दिया था कि पुनः विवाह की इच्छा गलत मंशा का संकेत देती है। उच्च न्यायालय ने Amardeep Singh v. Harveen Kaur मामले में Supreme Court द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का हवाला देते हुए निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने माना कि जब सुलह की कोई संभावना न हो और प्रतीक्षा अवधि केवल पीड़ा को बढ़ाने वाली हो, तो उस अवधि को माफ कर सकता है। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने समय सीमा में छूट की अनुमति दी और पक्षकारों को निर्देश दिया कि वे आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए पारिवारिक अदालत के समक्ष उपस्थित हों।

निर्णय न्यायालय ने कहा कि शीघ्र विवाह करने या वैकल्पिक पुनर्वास की इच्छा को नकारात्मक मंशा के रूप में नहीं देखा जा सकता। जब विवाह पूरी तरह टूट चुका हो, तो प्रतीक्षा अवधि की छूट का विवेकाधिकार पारिवारिक अदालतों को प्रदान किया गया है।

“during the pendency of the petition, an application was filed to waive the cooling-off period of six months as contemplated u/s 13(B) ... the waiver of the waiting period for the second motion will be in the discretion of the concerned Court.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2018

स्रोत CGHC010130512018

20 Rosey Sailo Damodaran v. Nitin Damodaran

HIGH COURT OF DELHI • 2019-02-08 • CONT.CAS(C)/99/2019

यह मामला पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ अवमानना (contempt) की कार्यवाही शुरू करने के लिए दायर किया गया था, क्योंकि पति ने Mediation Centre में हुए समझौते और Family Court में दिए गए वचन (undertaking) के बावजूद आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन

नहीं किया। न्यायालय ने *Rajat Gupta v. Rupali Gupta* के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को तलाक के लिए सहमति देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपसी सहमति तलाक के लिए अनिवार्य है। हालांकि, यदि कोई पक्ष अपने वचन से मुकरता है, तो उसे अवमानना के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, बशर्ते पीड़ित पक्ष यह साबित करे कि उसे गंभीर नुकसान या पूर्वाग्रह (prejudice) हुआ है। इस मामले में, याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई गंभीर नुकसान नहीं दिखाया, इसलिए याचिका खारिज कर दी गई।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 13बी के तहत पक्षकारों के पास सहमति वापस लेने का पूर्ण और अबाधित अधिकार है और उन्हें सहमति के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि, यदि उन्होंने अदालत में विशिष्ट उपक्रम (undertaking) या लिखित समझौते के माध्यम से कोई अनुचित लाभ लिया है और मुकर गए हैं, तो उन पर सिविल अवमानना का मुकदमा चलाया जा सकता है।

“The distinguishing feature of Section 13B of the Act, 1955 is that it recognizes the unqualified and unfettered right of a party to unilaterally withdraw the consent ... At the same time, a defaulting party can be held liable for civil contempt on the ground of breaching the terms and conditions incorporated in an undertaking given to the court”

HIGH COURT OF DELHI • 2019

स्रोत DLHC010101552019

21 Puja Gurjar v. Puspendra Singh Gurjar

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2021-02-23 • MP/576/2021

यह मामला *Smt. Puja Gurjar और Puspendra Singh Gurjar* के बीच आपसी सहमति से तलाक (divorce by mutual consent) की याचिका के दौरान 'cooling-off period' को माफ करने से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने Section 13(B)(2) of the Hindu Marriage Act के तहत छह महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को हटाने की मांग की थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि हालांकि Section 13(B)(2) के प्रावधान 'directory' प्रकृति के हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इसे बिना किसी ठोस आधार के नजरअंदाज किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि जब तक कोई असाधारण स्थिति न हो, सुलह की संभावनाओं को समाप्त नहीं माना जा सकता। अतः उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।

निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सतर्कता बरतते हुए स्पष्ट किया कि धारा 13बी(2) के निर्देशात्मक होने का अर्थ यह नहीं है कि पक्षकार बिना किसी ठोस विधिक आधार या वास्तविक असाधारण स्थिति के अपनी सनक के अनुसार कूलिंग-ऑफ अवधि से बच सकते हैं।

“Since we are of the view that the period mentioned in Section 13B(2) is not mandatory but directory ... Merely because the provision has been held to be directory in nature, the same cannot be bypassed on the whims of the parties. ... until and unless an exceptional case is made out for waiver of cooling period”

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2021

स्रोत MPHC030041622021

22 Vijay Agarwal v. Smt. Suchita Bansal

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023-07-20 • FAPL/839/2023

यह मामला Hindu Marriage Act, 1955 की Section 13B(2) के तहत तलाक के लिए आवश्यक छह महीने की 'cooling-off period' को माफ करने से संबंधित है। निचली अदालत ने इसे अनिवार्य मानकर छूट देने से इनकार कर दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने *Amardeep Singh v. Harveen Kaur* के निर्णय का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि यह प्रावधान अनिवार्य नहीं बल्कि 'directory' है। न्यायालय ने माना कि जब पार्टियां लंबे समय से अलग रह रही हों, सुलह की सभी संभावनाएं समाप्त हो गई हों और भरण-पोषण (alimony) जैसी शर्तों पर सहमति बन चुकी हो, तो अदालत को इसे माफ करने का विवेक है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में छूट प्रदान की और निचली अदालत को याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का निर्देश दिया।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि *Amardeep Singh* में सुप्रीम कोर्ट ने कानून की घोषणा की है, न कि केवल अनुच्छेद 142 के तहत विवेकाधीन राहत दी है। इसलिए, प्रतीक्षा अवधि को शिथिल करने का अधिकार पूरी तरह से प्रत्येक सक्षम पारिवारिक अदालत को प्राप्त है।

“Insofar as the Supreme Court interpreted the statutory provision and laid down the law, that decision of the Supreme Court may never have been described as an exercise referable to Article 142 ... interpreted it to reach the conclusion that the same was was directory and that the discretion to waive the stipulation of time would vest with the Court dealing with the second joint motion petition”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023

स्रोत UPHC011527302023

23 Ujjwal Sachdeva & Ors. v. State of H.P. & Ors.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2024-07-15 • CRMM0/367/2024

यह मामला पति और पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद से संबंधित है, जिसमें पत्नी द्वारा Section 498-A और Section 506 of the Indian Penal Code के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई थी। पक्षों ने आपसी समझौते के माध्यम से विवाद को सुलझा लिया है और पति ने पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में एक बड़ी राशि देने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने अपनी शादी को आपसी सहमति से समाप्त करने के लिए Section 13-B of the Hindu Marriage Act के तहत आवेदन किया है। न्यायालय ने यह माना कि मामले का निपटारा हो चुका है और आपराधिक कार्यवाही जारी रखने का कोई लाभ नहीं है। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने Section 482 of the Code of Criminal Procedure के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिकी को रद्द कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने आपराधिक प्राथमिकियों को रद्द करते हुए और धारा 13बी की अर्जी पर विचार करते हुए निर्णय दिया कि विवाह अपूरणीय रूप से टूट जाने के बाद प्रतीक्षा अवधि को माफ किया जाना चाहिए।

“statutory period of six months deserves to be waived keeping in view the fact that the marriage between the parties has broken beyond repair and there seems to be no possibility of parties living together.”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2024

स्रोत HPHC010169932024

24 P. Lydia Jenifar v. S. Rajadurai

MADRAS HIGH COURT • 2017-09-20 • CMA(MD)/395/2017

यह मामला विवाह विच्छेद (divorce) की याचिका से संबंधित है, जिसे निचली अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि पक्षों को आपसी सहमति (mutual consent) से तलाक के लिए एक नई याचिका दायर करनी चाहिए। अपीलकर्ता (पत्नी) ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने अलगाव के बाद से कोई रुचि नहीं दिखाई है और वे लंबे समय से अलग रह रहे हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि विवाह का रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है और सुलह की कोई संभावना नहीं है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि वैवाहिक मामलों में अनावश्यक देरी से पक्षों, विशेषकर महिलाओं का जीवन प्रभावित होता है। अंततः, न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को दरकिनार करते हुए विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान की।

निर्णय न्यायालय ने माना कि *Amardeep Singh* में दिए गए ऐतिहासिक फैसले ने छह महीने की अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि को समाप्त कर आपसी तलाक चाहने वाले दंपतियों को त्वरित राहत प्रदान की है, जिससे विवाह के टूटने पर लंबी विधिक लड़ाई को रोका जा सके।

“In the recent verdict, the Apex Court, has held in the case of Amardeep Singh Versus Harveen Kaur ... the Supreme Court waived the six-month 'waiting period' once compulsory for mutual consent divorce. This was definitely give a solace for mutual divorce couple”

MADRAS HIGH COURT • 2017

स्रोत HCMD010002962017

25 Vijaymohan v. D. Kalamani

MADRAS HIGH COURT • 2017-09-19 • CMA/872/2007

यह मामला पति और पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद से संबंधित है। पति ने तलाक की मांग की थी, जबकि पत्नी ने Section 9 of The Hindu Marriage Act के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली (restitution of conjugal rights) के लिए याचिका दायर की थी। निचली अदालत ने तलाक की याचिका खारिज कर दी और बहाली का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के दौरान, दोनों पक्षों ने आपसी समझौते के आधार पर तलाक की मांग की। हालांकि, न्यायालय ने सीधे तलाक देने से इनकार कर दिया, लेकिन दोनों पक्षों को Section 13-B of The Hindu Marriage Act के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी। न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि ऐसी याचिका दायर की जाती है, तो Family Court छह महीने की प्रतीक्षा अवधि (cooling period) को माफ कर सकती है।

निर्णय उच्च न्यायालय ने पक्षकारों को धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की और निर्देश दिया कि विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक न्यायालय छह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना आदेश पारित करे।

“in view of the peculiar circumstances involved in the case, the Family Court shall consider the same and pass orders therein without waiting for the cooling period of six months to get over.”

MADRAS HIGH COURT • 2007

स्रोत HCMA011012692007

अस्वीकरण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।